न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 68/2021
GCMS No-2021/204

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली हाल बांसवाडा		राजुराम पुत्र श्री रुगाराम जाट मैसर्स श्री बीकानेर मावा भण्डार पाली दरवाजा रोड सोजत सिटी पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27-3-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित था। पुलिस थाना सोजत से मिली सुचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय टीम पुलिस थाना सोजत सिटी पर दिनांक 01.11.2020 पहुंचे। जहां पर विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में थाना परिसर सोजत सिटी में जब्त करके रखे हुये 10 टीन जिनमें बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) भरी हुई थी। जिनका निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रत्येक टीन में 20 किलोग्राम बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) रखी हुई थी, जो अप्रार्थी द्वारा आमजन को बिक्री की जानी थी, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 400/– नकद देकर 2 किलोग्राम बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) खरीदी जिसकी रसीद प्राप्त की। रसीद पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा 02 किलोग्राम बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) को नियमानुसार चार भागों में बांटकर चार सुखी शीशी में डालकर उन पर डी ओ कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अकिंत किये। चारों नमुना के चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर **आर 1120** अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी (मालिक) व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट को अगले कार्यदिवस दिनांक 02.11.2020 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) के नमूने को अमानक unsafe food under section 3(1)(zz)(iv)of food

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

safety and standards Act 2006 पाया गया। अप्रार्थी ने नमुने की पुनः जांच हेतु अपील की गई जिस पर बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) कोड संख्या आर 1120 को रेफरेल खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला पुणे भिजवाया गया रेफरेल लेब पुणे से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) Sub-standard होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.11.2020 को अप्रार्थी की फर्म से जांच हेतु खाद्य पदार्थ बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1120 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जाचं हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./666/एक्ट/2020/666 दिनांक 10.11.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1120 को unsafe माना गया, जिस पर अप्रार्थी ने उक्त नमुना की पुनः जांच हेतु रेफरेल लेब पुणे भिजवागया जहां नमुना कोड संख्या आर 1120 को Sub-standard माना गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद भी अपना पक्ष रखने हेतु किसी प्रकार का जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नही किया एवं वक्त बहस न्यायालय में अनुस्थित रहा न ही किसी भी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। यह स्थिति अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति को दर्शाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ बर्फी(दुध व चीनी से बनी मिठाई) Sub-standard का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 27-3-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली